

आदेश

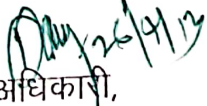
श की क्रम और तारीख	संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहीत।
26.4.13		अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह अभिलेख सुनिल कुमार के खाता सं० 148, प्लॉट 1/2130 एवं 1/2131 कुल रकवा 31 डी० की रसीद निर्गत करने से संबंधित है। आवेदक से नोटिस निर्गत कर कागजातों की मांग की गई एवं हल्का राजस्व कर्मचारी से राजस्व प्रतिवेदन की मांग की गई। आवेदक के द्वारा सरकारी रसीद सं० 966900, 969105, 969106, 2843846 केवाला संख्या-6990, 7307 एवं 7041, बन्दाबस्ती वाद सं० 148/59-60 का छाया प्रति समर्पित किया गया है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक की उक्त भूमि केवाला संख्या 6990 दिनांक 23.12.05 द्वारा खाता नं० 148 प्लॉट नं० 1/2131 रकवा 24 डी० भूमि तथा केवाला सं० 7041 दिनांक 26.12.05 द्वारा खाता नं० 148 प्लॉट नं० 1/2131 रकवा 0.03 एकड़ एवं केवाला सं० 7307 दिनांक 30.12.08, रकवा 04 डी० आवेदक की माँ प्यारी देवी तथा पिता भागवत साहु के द्वारा क्रय किया गया है। उक्त भूमि की रसीद दा०खा० 254/06-07 एवं 253/06-07 तथा दा०खा० केस नं० 854/09-10 द्वारा क्रमशः पंजी-II के पृष्ठ सं० 143/17, 142/17 एवं 139/22 पर दर्ज होकर रसीद निर्गत वर्ष 2009-10 तक हुआ है। उक्त भूमि पर आवेदक का शांति पूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास दर्ज है। राजस्व कर्मचारी द्वारा	

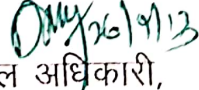
रसीद निर्गत करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत कागजातों के अनुसार यह भूमि गो0 इशाक कुरैशी को अंचल कार्यालय द्वारा बन्दोवस्ती सं0 148/59-60 के द्वारा बन्दोवस्त किया गया था। यह बन्दोवस्ती पर्चा में हस्तानान्तरण पर किसी प्रकार का रोक होने का जिक्र नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह भूमिहिन बन्दोवस्ती नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सरकारी रसीद के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरकारी रसीद आवेदक के नाम से वर्ष 06-07 से लगातार कटती चली आ रही है।

अतः हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जा में होने तथा, जमाबंदी के सक्षम पदाधिकारी द्वारा कायम किए जाने के आलोक में लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाता है। लगान बकाए की तिथि से वसुलगीय होगा। हल्का कर्मचारी को आदेश की एक प्रति दे एवं रसीद निर्गत किए जाने का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर दें।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
चतरा।


अंचल अधिकारी,
चतरा।